कार्यालय महानिदेशक,
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

क्रमांकः– प.19(3)जकके/बुकिंग/ऑडिट/2025–26 दिनांकः–

कार्यालय आदेश

जवाहर कला केन्द्र में बुकिंग आधार पर कई आवेदकों/संस्थाओं द्वारा विगत 03 वर्षो से आदिनांक तक उनके द्वारा केन्द्र में जमा करवाई गई सुरक्षा राशि को वापिस लौटाये जाने हेतु न तो केन्द्र को किसी प्रकार का कोई पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही केन्द्र में उपस्थित होकर बुकिंग अधिकारी से सम्पर्क किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार जिन आवेदकों/संस्थाओं द्वारा सुरक्षा राशि लौटाये जाने हेतु आदिनांक तक आवेदन नही किया गया है न ही केन्द्र में उपस्थिति होकर कोई पत्र केन्द्र को प्रस्तुत किया गया है ऐसे सभी आवेदक/संस्थाऐं 07 कार्य दिवसों में केन्द्र में उपस्थित होकर बुकिंग अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

यदि उक्त आदेश के पश्चात् जिन आवेदकों/संस्थाओं द्वारा 07 कार्य दिवसों में सुरक्षा राशि लौटाये जाने हेतु केन्द्र में सम्पर्क नही किया जाता है या उनके द्वारा केन्द में जमा सुरक्षा राशि को 03 वर्ष से अधिक हो गये हो तो उनकी सुरक्षा राशि को केन्द्र द्वारा जब्त किया जा सकेगा।

(अलका मीणा)
अतिरिक्त महानिदेशक

क्रमांकः– प.19(3)जकके/बुकिंग/ऑडिट/2025–26 दिनांकः–

प्रतिलिपि :–

1. वरिष्ठ निजी सहायक, महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र।
3. नोटिस बोर्ड।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त महानिदेशक

Signature Not Verified

Digitally signed by Alka Meena
Designation : Additional Director General
Date: 2025.07.05 17:48:53 IST
Reason: Approved